प्रेषक,

प्रभात कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2016**

विषय:- जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड इगलास, गौण्डा एवं जवां के आवासीय/अनावासीय भवनों के अवशेष निर्माण हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-31/बजट अनु0/2015-16 दिनांक 27 अप्रैल, 2016 एवं मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक-3418/लेखा-3/आवा0अनावा0भवन/2015-16 दिनांक 30-03-2016 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-सा0-892/38-2-2013-8बी/2002 दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड इगलास, गौण्डा एवं जवां के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने जाने के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में क्रमशः रू0 212.29 लाख, रू0 212.29 लाख एवं रू0 197.47 लाख (कुल रू0 622.05 लाख) (रूपये छः करोड़ बाइस लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासनादेश में दिये गये अन्य दिशा निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे। धनराशि को व्यय करने में इस प्रकार की रणनीति बनायी जायेगी, जिससे फेजवाइज भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। भवन का निर्माण उसी एजेन्सी से कराया जायेगा, जिस पर ग्राम्य विकास विभाग की सहमति दी गयी है तथा सुसंगत शासकीय निर्माण कार्य निष्पादन विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा, जिस बाउचर संख्या एवं जिस तिथि को धनराशि कोषागार से आहरित की जाय, उसका विवरण महालेखाकार, उ0प्र0 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं शासन को अविलम्ब प्रेषित किया जाय तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय। निर्माण कार्य के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रतिमाह आयुक्त, ग्राम्य विकास को भेजी जाय।

(4) इस धनराशि का उपयोग उसी प्रकार किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा इसे अन्य कार्यों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जायेगा, जैसे ही धनराशि का पूर्ण उपयोग हो जाय, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित कर दिया जाय।

(5) इस धनराशि से निष्पादित कराये जाने वाले कार्यों के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार की जायेगी।

&2@&

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(7) ग्राम्य विकास अनुभाग-2 के उक्त शासनादेश दिनांक 11 नवम्बर, 2013 एवं इस शासनादेश में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे तथा यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वे मामले की पूर्ण सूचना विरण सहित शासन/वित्त विभाग को प्रेषित करेंगे।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-102-सामुदायिक विकास-03-जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)-24 वृत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2016/सा0-302(1)/38-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
4- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़।
5- कोषाधिकारी, अलीगढ़।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अलीगढ़।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, युनिट-25 अलीगढ़।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।